तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
20.03.2025	प्र.सं. 31/2018 जीसीएमएस : 2018/00079 राजाराम बनाम शंकरलाल आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट उपस्थिति :- 1. श्री ओम धायल, अधिवक्ता प्रार्थी 2. श्री साहिब बाघला, अधिवक्ता अप्रार्थीगण 3. राजपैरोकार -:: निर्णय ::- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी राजाराम पुत्र रेखाराम जाति जाट साकिन 1 एमएसडी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पास प. नं. 122/346 में 10 बीघा भूमि है जिसमें प्रवेश हेतु कोई रास्ता नहीं है प्रार्थी को कि.नं. 1 व 2 में से रास्ता की डी. एल.सी. की दोगुनी कीमत या जमीन के बदले जमीन देने हेतु रास्ता स्वीकृत करने के लिए निवेदन किया। प्रार्थना पत्र विस्तृत रिपोर्ट तलब की गयी। उप तहसीलदार जैतसर के द्वारा अपने पत्रांक 8 दिनांक 15.05.2018 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी को मु.नं. 122/346(34) के कि.नं. 5-6 में से होकर निकटतम रास्ता है, जो शेर सिंह-नाहर सिंह-शान्ति देवी-मोहनी देवी पि. हरिराम, शंकरलाल-लीलाधर पि. मैनपाल, रजनी-भागवन्ती-रोशनी पुत्रियां मैनपाल के नाम से दर्ज है। दिनांक 08.06.2018 को प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र बावत कि.नं. 1-10-11-20-21 में से 1.1/2-1.1/2 बिस्वा रास्ता स्वीकार करने का पेश किया जिस पर शंकरलाल आदि के हस्ताक्षर अंकित है। इसके उपरान्त अप्रार्थी शंकरलाल व लीलाधर ने जरिए अधिवक्ता दिनांक 05.03.2019 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया है। इसके उपरान्त शेष अप्रार्थीगण की तलबी जरिए समाचार पत्र में छाया के द्वारा की गयी है। अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं है। प्रकरण में भू अभिलेख निरीक्षक जैतसर से रिपोर्ट तलब की गयी। बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोर्ट भू.अ.नि. जैतसर की रिपोर्ट दिनांक 17.04.2023 एवं नक्शा के अनुसार प्रार्थी द्वारा कि.नं. 5-6 में रास्ता की मांग की गयी है जो न्यूनतम व निकटतम है। मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य कि.नं. 1, 10,9,8 कि.नं. 8 के मध्य [illegible] चालू है। उसी अनुसार रास्ता स्वीकृत करवाने की सहमति है। रिपोर्ट का अवलोकन करने पर [illegible] की रास्ता स्वीकार किये जाने [illegible] के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में सहमति [illegible]र पर रास्ता स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मौके पर सहमति से रास्ता चालू होने के कारण रास्ता की आवश्यकता अत्यांतिक आवश्यकता की श्रेणी में नहीं आती है। इसके अतिरिक्त किसी	

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:22:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये

खातेदार द्वारा अपनी भूमि में प्रवेश हेतु अन्य खातेदार की भूमि में से नवीन मार्ग स्वीकृत करवाने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत प्रावधान किये गये है। राज.काश्त.अधि. की धारा 251ए के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए बने नियम राजस्थान काश्तकारी सरकार नियम 1955 के नियम 68 में धारा 251ए के तहत आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निश्चित प्रारूप फार्म–1 में आवेदन करना अनिवार्य है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में नियम 68 की पालना नहीं की गयी है। प्रार्थी के द्वारा न्यायालय के समक्ष दो अलग अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पृथक–पृथक रास्ता की मांग की है ऐसे में प्रार्थी का रास्ता के संबंध में स्वंय का मत स्पष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है। यदि प्रार्थी अपनी भूमि में आवगमन हेतु नवीन स्वीकृत शुदा मार्ग चाहते है तो वे विधि अनुसार नवीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

क्रियान्व्यन आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 20.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:22:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner